रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273937
SG-DL-E-30062026-273937

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 85
No. 167]	DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948	[N. C. T. D. No. 85

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली अभिलेखागार विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जून, 2026

फा0 सं0 डीए/21/2024–प्रशासन/1253 — गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0फा0 27/59–एचआईएम(i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली अभिलेखागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**
   (1) इन नियमों को दिल्ली अभिलेखागार विभाग, स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II) भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।
   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम : स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)

1.	पदनाम	:	**स्टाफ कार चालक** (**सामान्य ग्रेड**)
2.	पदों की संख्या	:	01* (2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	पद का वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–2 (रु. 19900–63200/–)
5.	क्या चयन पद है/गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18–25 वर्ष * (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप** :– आयु–सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। *यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना हो, तो आयु सीमा 18–27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	**अनिवार्य** : 1. मोटर कार हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो; 2. मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए); 3. मोटर कार चलाने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव हो; तथा 4. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। **वांछनीय** : होम गार्ड/नागरिक स्वयंसेवकों के रूप में तीन वर्षों की सेवा। **टीप 1** : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।

			टीप 2 : यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो योग्यता (योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हाँ
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नति :** विभाग में कार्यरत स्तर–1 (रु.18000–56900/–) के एमटीएस, जिनके पास वैध हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के साथ 3 वर्ष का अनुभव हो तथा उन्होंने परिवहन विभाग के प्राधिकृत मोटर प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. सचिव (क0सं0एवंभा0/अभिलेखागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** टीप :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

पदनाम : <u>स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)</u>

1.	पदनाम	:	**स्टाफ कार चालक (ग्रेड–II)**
2.	पदों की संख्या	:	01*(2026) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	पद का वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह–'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (रु. 25500–81100/–)
5.	क्या चयन पद है/गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	**पदोन्नति** :– वैध हल्के मोटर वाहन लाइसेंस के साथ 09 वर्षों के अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर–2 (रु.19900–63200/–) में स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) तथा उन्होंने परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्राधिकृत मोटर प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति/स्थायीकरण के विचारार्थ)** 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **अध्यक्ष** 2. सचिव (क0सं0एवंभा0/अभिलेखागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** 3. उप–सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** टीप :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. के. महेश, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF DELHI ARCHIVES

NOTIFICATION

Delhi, the 29th June, 2026

No.F. DA/21/2024-Administration/1253.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Staff Car Driver (Ordinary Grade) and Staff Car Driver (Grade-II)' in the Department of Delhi Archives, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short Title and Commencement.**

(1) These rules may called the Department of Delhi Archives, Staff Car Driver (Ordinary Grade) and Staff Car Driver (Grade-II) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, its classification and level in pay matrix.**

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Post Name : Staff Car Driver (Ordinary Grade)

1.	Name of post	**Staff Car Driver (Ordinary Grade)**
2.	Number of post	01* (2026) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification of the post	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level – 2 (Rs. 19900-63200/-) in the pay matrix
5.	Whether Selection or Non-Selection	Non-Selection
6.	Age Limit for Direct Recruits	18-25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years.
7.	Educational and other Qualifications required for Direct Recruits	**Essential :** 1. Possession of a Valid Driving License for Motor Cars; 2. Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); 3. Experience of driving a Motor Car for at least 03 years; and 4. Pass in 10^{th} Standard **Desirable:**

		Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
8.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Age : No Educational qualification : Yes
9.	Period of probation, if any	02 years for direct Recruits
10.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion failing which by Direct Recruitment.
11.	In case of Recruitment by Promotion/deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	**Promotion :** MTS in Level-1 (Rs.18000-56900) working in department having three years' experience alongwith valid Light Motor Vehicle License and Trade test passed from authorized Motor Training Institute of Transport Department.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Group-'C' DPC (for considering promotion/confirmation) :** 1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : **Chairman** 2. Secretary (ACL/Archives), Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Dy. Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** Note : Senior most member of Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not applicable

Post Name : Staff Car Driver (Grade-II)

1.	Name of post	**Staff Car Driver (Grade-II)**
2.	Number of post	01* (2026) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification of the post	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Non-Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level – 4 (Rs. 25500-81100/-) in the Pay Matrix

5.	Whether Selection or Non-Selection	Non-Selection
6.	Age Limit for direct recruits	Not Applicable
7.	Educational and other Qualification required for Direct Recruits	Not Applicable
8.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Not Applicable
10.	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/ absorption & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By Promotion
11.	In case of Recruitment by Promotion/deputation/ absorption grades from which Promotion/ deputation/ absorption to be made	**Promotion :** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Pay Level – 2 (Rs. 19900-63200/-) of the Pay Matrix with 09 years' experience along with valid Light Motor Vehicle License and trade test passed from authorized Motor Training Institute of Transport Department, Government of NCT of Delhi.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Group-'C' DPC (for considering promotion /confirmation) :** 1. Principal Secretary/ Secretary (Power), Government of NCT of Delhi : **Chairman** 2. Secretary (ACL/Archives), Government of National Capital Territory of Delhi : **Member** 3. Dy. Secretary (Finance), Government of National Capital Territory of Delhi: **Member** Note : Senior most member of Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.
13.	Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. K. MAHESH, Secy. (ACL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.06.30 15:30:16 +05'30'